सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 336/21 दिनांक- 15 जुलाई 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना गम्भीरपुर

मोटर साईकिल चोर को चोरी की मोटर साईकिल व अवैध कट्टे के साथ किया गिरफ्तार

दिनांक 15.07.21 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व मे SSI नवल किशोर सिंह मय हमराह बिन्द्राबाजार तिराहा पर मौजूद थे कि मुखबीर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मो 0सा0 लेकर मंगरावा की तरफ से बिन्द्राबाजार को आने वाला है इस सूचना पर विश्वास करके तत्काल मंगरावा बिन्द्राबाजार रोड पर गौरी नटियाना मोड पर पहुचे और आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे तभी एक व्यक्ति मंगरावा की तरफ से मो0सा0 से आता दिखायी दिया पास आने पर रोका गया तो पुलिस को देखकर मुडकर भागना चाहा कि वही पर हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड लिया गया नाम पता पूछने पर अपना नाम गोविन्द पुत्र रमेश निवासी विषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जमा तलाशी ली गयी तो एक अदद कट्टा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा बिना नम्बर मोटर साईकिल के बारे मे सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि इसका वास्तविक नं0 UP 50 AQ 6690 जिसे मै दिनांक 02.07.21 को लालगंज तहसील से चोरी किया था । अभियुक्त का यह कार्य धारा 411 ,413,414 भादवि व 3/25 A ACT का अपराध पाकर कारण गिर0 बताकर समय करीब 09.10 बजे अभियुक्त को हिरासत में तथा बरामसशुदा मो0सा0 व कट्टा कारतूस को कब्जा पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 139/21 धारा 411/413/414 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

गोविन्द पुत्र रमेश निवासी विषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगीः-

1. एक अदद मो.सा. बिना न.वास्तविक नं0 UP 50 AQ 6690चेचिस नं0 MBLJA05EHT9G0340404
2. एक अदद कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कार0 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़
2. व.उ.नि. नवल किशोर सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. हे0 का0 इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
4. का0 सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना तहबरपुर

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिह द्वारा जनपद को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अपराधियो के विरूद्ध तथा आंशिक विवेचनाओ के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन मे तथा प्रभारी निरीक्षक शत्रुघ्न कुमार के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 बसन्त लाल मय हमराह कर्मचारीगण का0 विनोद गुप्ता व का0 पंकज गुप्ता के द्वारा जनपद थाणे महाराष्ट्र जाकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/19 धारा 363,366,506,376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सिद्धेश बन्ने पुत्र महेश बन्ने निवासी शिवाजी नगर रूम नं0 166 रोड नं0 01 नियर गणपत मंदिर थाना शिवाजी नगर अम्बर नाथ ईस्ट जनपद थाणे (महाराष्ट्र) को दिनांक 13.07.2021 को उसके उपरोक्त निवास स्थान से मुखबिर की

सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को नियमानुसार महाराष्ट्र से आज दिनांक 15.07.2021 को थाना तहबरपुर, आजमगढ़ लाकर विधिक प्रकिया पूर्ण की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 33/19 धारा 363,366,506,376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

सिद्धेश बन्ने पुत्र महेश बन्ने निवासी शिवाजी नगर रूम नं0 166 रोड नं0 01 नियर गणपत मंदिर थाना शिवाजी नगर अम्बर नाथ ईस्ट जनपद थाणे (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 बसन्त लाल
2. का0 पंकज कुमार गुप्ता
3. का0 विनोद गुप्ता

थाना देवगांव

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियो के विरूद्ध विशेष रुप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनाँक 15.07.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व प्र0नि0 मंजय सिंह मय हमराह रोकथाम जुर्म-जरायम मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0स0 126/2021 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1989 मे नामजद अभियुक्त निर्भय गिरी पुत्र स्व0 अशोक गिरी नि0 सेठौली गोपालपुर नसरतपुर थाना देवगाव आजमगढ जो गोसाईगंज बाजार में किसी वाहन से भागने के फिराक मे खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर के प्र0नि0 मंजय कुमार सिंह मय हमराह के गोसाईगंज बाजार मे पहुचे वहा पर खडा एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसको हमराही कर्म0गण की मद द से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम निर्भय गिरी पुत्र स्व0 अशोक गिरी नि0 सेठौली गोपालपुर नसरतपुर थाना देवगाव आजमगढ बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार करा चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत–

मु0अ0स0 126/2021 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1989

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

निर्भय गिरी पुत्र स्व0 अशोक गिरी नि0 सेठौली गोपालपुर नसरतपुर थाना देवगाव आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम –

(1) प्र0नि0 मजंय सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(2) हे0का0 प्रवीण सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(3) का0 अखिलेश कुमार यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

(4) का0राहुल शाह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 42 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।